

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION - 2014

अनुक्रमांक/Roll No.

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :12
No. of Printed Pages : 12

JUDGMENT WRITING

निर्णय लेखन

**Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न-पत्र**

समय — 3:00 घण्टे
Time Allowed — 3:00 Hours

पूर्णांक — 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./
प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks/
अंक

SETTLEMENT OF ISSUES

विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under - 10

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- Plaintiff 'A' filed a suit against defendants 'B', 'C' & 'D' for possession with pleadings that the suit land Survey No. 67/1, area 2.47 acres situated at Village veerpura Tahsil and District Rajgarh (M.P.) belongs to 'A' Who is the bhumiswami of that land. 'B' is the real brother of plaintiff. During 1997-98 'A' had given the suit land to the defendant for cultivation only for one year. In 1999 when 'A' demanded his possession back the defendant 'B' refused and filed an application under section 190/110 of M.P. Land Revenue code for mutation of the land in his favour. Initially the plaintiff appeared in the proceeding before Tahsildar and filed his objection but later on he was told by Tahsildar that the proceedings have been closed. The plaintiff later on came to know that the suit land was mutated by Tahsildar in favour of 'B'. 'A' then filed an appeal before S.D.O. which was dismissed on 04.09.2002 being time barred. The plaintiff was thus forced to file the suit for restoration of possession on the basis of the title. During pendency of suit the plaintiff came to know that 'B' has sold out the suit land to defendant 'C' & 'D' on 15.11.2002 and so the plaintiff made them the party in the suit and also prayed for a relief of cancellation of sale deed.

WRITTEN STATEMENT :- The defendants filed a joint written statement and denied the plaintiff's averments. According to them, the plaintiff had given the suit land to the defendant 'B' on shikmi in 1995 and since then 'B' has been in possession till 2002, the date of sale deed. A valid order was passed by Tahsildar in favour of defendant no.1 holding that 'B' has become occupancy tenant and thereafter he had become *Bhumiswami* by operation of law. The suit property has been validly sold by defendant 'B' to defendants no. 2 to 3 ('C' & 'D'). The plaintiff has not sought the relief of declaration and thus his suit is not maintainable. The defendants 'C' and 'D' are bonafide purchasers for the price. It has been prayed that

the suit be dismissed. A plea of limitation has also been taken in the written statement that the suit of plaintiff is time barred.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

वादी के अभिवचन – वादी 'ए' ने प्रतिवादी 'बी', 'सी' और 'डी' के विरुद्ध कब्जा हेतु वाद इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नंबर 67/1 क्षेत्रफल 2.47 एकड़ स्थित ग्राम वीरपुरा तहसील व जिला राजगढ़ वादी की है जो कि इस भूमि का भूमि स्वामी है। 'बी' वादी का सगा भाई है। सन् 1997-98 में वादी ने वादग्रस्त भूमि एक वर्ष के लिए प्रतिवादी को खेती करने के लिए दे दी थी। सन् 1999 में जब वादी ने कब्जा वापस मांगा तो प्रतिवादी 'बी' ने इंकार किया और भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराने हेतु धारा 190/110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिया। वादी आरंभ में तहसीलदार के समक्ष इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ और उसने अपना आपत्ति पत्र भी प्रस्तुत किया लेकिन बाद में तहसीलदार द्वारा उसे यह बताया गया कि कार्यवाही बंद कर दी गयी है। बाद में वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार द्वारा 'बी' के पक्ष में नामांतरित कर दी गयी। वादी ने तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 4.9.2002 को अवधि बाधित होने से निरस्त कर दी गयी। वादी इस प्रकार स्वत्व के आधार पर कब्जा की पुनर्प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने को विवश हुआ। वाद के प्रचलन के दौरान वादी को यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 15.11.2002 को प्रतिवादी 'बी' ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी 'सी' और 'डी' के पक्ष में विक्रय कर दी और तब वादी ने उन्हें भी प्रकरण में पक्षकार बनाया और विक्रय पत्र को निरस्त कराने की सहायता की भी प्रार्थना की।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादीगण ने संयुक्त लिखित कथन प्रस्तुत किया और वादी के अभिकथनों को अस्वीकार किया। उनके अनुसार वादी ने सन् 1995 में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी 'बी' को सिकमी पर दे दी थी और तब से 'बी' इस भूमि पर विक्रय दिनांक सन् 2002 तक काबिज रहा। तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी 'बी' को मौरुषी कृषक और बाद में विधि के प्रवर्तन अनुसार भूमि स्वामी होना ठहराते हुए प्रतिवादी नं.1 के पक्ष में वैध आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी 'बी' द्वारा प्रतिवादी 'सी' और 'डी' के पक्ष में वैध रूप से विक्रय पत्र निष्पादित कर भूमि का विक्रय किया गया है। वादी ने स्वत्व की सहायता की मांग नहीं की है अतः उसका वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी 'सी' और 'डी' इस भूमि के मूल्य के लिए सद्भावी क्रेता हैं। यह प्रार्थना की गयी है कि वाद निरस्त किया जावे। लिखित कथन में अवधि संबंधी अभिवाक् किया गया है कि वादी का वाद समय बाधित है।

FRAMING OF CHARGES

आरोपों की विरचना

- Q. 2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here under.- 10**

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS –

As per case of prosecution on 01.01.2015 at about 5 O'clock in the evening, 'A' and his father 'B' were coming from agricultural land to their house by bullock cart. On reaching from approach road to main road 'H', both stepped down from the bullock cart and while they were crossing the road for drinking water, the alleged offending bus bearing registration no. C-1, driven by the accused 'F' in rash and negligent manner came there from wrong side, dashed 'B'. Resultantly 'B' sustained fatal injuries and succumbed to injuries on the spot. His son 'A' lodged FIR against driver 'F' at police station 'G'.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन –

अभियोजन प्रकरण के अनुसार दिनांक 01.01.2015 को शाम लगभग 5 बजे, 'ए' और उसका पिता 'बी' अपने खेत से घर बैलगाड़ी से वापिस आ रहे थे। जब वे पगडंडी से मुख्य मार्ग 'एच' पर आये, दोनों बैलगाड़ी से उतरे और जब वे पानी पीने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी अभिकथित वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 'सी-1' था, जिसे ड्रायवर 'एफ' उतावलेपन व उपेक्षा से गलत दिशा से चलाकर आते हुये, 'बी' को टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप 'बी' को घातक उपहति कारित हुई और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु चोटों के कारण हो गई। उसके पुत्र 'ए' ने पुलिस थाना 'जी' में अभियुक्त ड्रायवर 'एफ' के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

JUDGMENT/ORDER (CIVIL) WRITING (CJ-II)

निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)

- Q. 3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law / Acts :- 40**

Plaintiff's Pleadings :- Plaintiff 'A' filed a suit against defendant 'B' for recovery of principal amount Rs. 1.60 Lac (One Lac Sixty Thousands) and interest @ 02 rupees percent per month. Plaintiff

pleaded that on 03.01.2005 defendant 'B' came to residence of plaintiff 'A' with 'C' and requested for loan to meet out his urgent domestic expenses. 'A', 'C' and 'D' were neighbours and resided in town 'E'. At the guarantee of 'C' the plaintiff lent aforesaid loan to the defendant. The defendant executed promissory note at the residence of plaintiff in the presence of 'C' and 'D'. But according to promise defendant did not return the borrowed amount despite repeated oral demands. Then plaintiff sent a show-cause notice by registered post on 30.07.2007 which was received by defendant. In the response, defendant mentioned in his reply that neither he received any amount nor executed any promissory note as stated in the notice. After receiving reply, plaintiff came to conclusion that defendant was not willing to pay the due amount. Then plaintiff filed Civil Suit for recovery of total amount with interest before the court of Civil Judge Class-II, situated in town 'E'.

Defendant's Pleadings :- The defendant 'B' filed written statement, therein it has been pleaded that neither he received amount nor executed any promissory note as pleaded in the plaint. Defendant specifically pleaded that so called 'C' witness of promissory note entered into the conspiracy with his brother 'F' and prepared a fake promissory note in collusion with his close relative plaintiff 'A'. This fraudulent exercise had been done by aforesaid persons with ulterior motive. Because in the year of 2004 a Civil Suit was filed by the defendant 'B' against the 'F' for permanent injunction which was decided on 22.10.2009 in favour of present defendant. In that previous Civil Suit 'F' filed an agreement for sale therein 'C' was cited as witness. This agreement of sale was declared as forged document in previous Civil Suit. Therefore to take revenge and teach lesson to the defendant all above persons entered into the conspiracy and created forged promissory note.

Plaintiff's Evidence :- Plaintiff produced three witnesses which are plaintiff himself as PW-1, and witnesses 'C' (PW-2) and 'D' (PW-3). Plaintiff also filed promissory note (Ex-P1) notice Ex-P2, Postal receipt with acknowledgment (Ex-P3) and (P-4). During the course of recording of evidence it was found that (Ex-P1) is not a promissory note but it was a bond. That's why before taking into consideration in evidence the same was impounded and after due compliance Ex-P1 was

admitted in evidence as a bond. All the three witnesses stated in their statements that defendant executed ExP1 on 03.01.2005 at the residence of plaintiff and also taken one lac sixty thousands rupees in cash and also agreed to pay interest @ 02% p.m.

Defendant's Evidence :- Defendant alone appeared as witness as DW-1. He has also filed certified copies of previous Civil Suit 1-A/2004, Plaint (ExD-1), WS(ExD-2), so called agreement for sale (Ex-D3) filed by 'F' brother of 'C' (PW-2) and judgment dated 22.10.2009 (Ex-D4). Defendant proved all these documents by calling original record of Civil Suit 1-A/2004. Defendant stated in his evidence that in previous Suit both 'C' PW-2 and his brother 'F' threatened and tried to dispossess defendant from his agricultural land therefore he had filed a Suit for injunction against 'F', the brother of C (PW-2). Defendant also deposed that in previous Suit 'F' had produced an agreement for sale wherein 'C' PW2 was cited as a witness and also presented as a witness in support of his brother's claim. In previous Suit agreement for sale was declared as fake agreement.

Arguments Plaintiff :- On behalf of the plaintiff it has been argued that plaintiff proved his case by reliable evidence. In previous Civil Suit neither plaintiff nor his witnesses were party so that judgment of previous suit is not binding upon the plaintiff. It also contended that plaintiff produced an independent witness 'D' (PW-3) who is neither relative, nor interested with plaintiff and has no animosity relations with defendant. Therefore plaintiff's Suit should be decreed.

Arguments Defendant :- On behalf of the defendant it has been argued that there was no introduction or any kind of relation of defendant with the plaintiff. There was no need to take loan such a huge amount from the plaintiff. Without previous introduction why plaintiff had given loan to defendant without any mortgage or security ? Because of previous litigation there was no occasion that 'C' PW-2 became the guarantor of the aforesaid loan. Defendant advocate has drawn attention of this court to compare admitted signature of Defendant on Ex-D1 plaint of previous Suit with disputed signature as shown on ExP-1 both are squarely different from each other. He also requested court to compare signature under Section 73 of Evidence Act.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :- वादी 'अ' ने एक वाद प्रतिवादी 'ब' के विरुद्ध मूल राशि 1,60,000/- तथा ब्याज 2 रूपया प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से वसूली हेतु प्रस्तुत किया। वादी के अभिवचनानुसार दिनांक 03.01.2005 को प्रतिवादी 'ब' उसके निवास स्थान 'स' के साथ आया और निवेदन किया कि उसे घर खर्च के लिए तुरन्त ऋण की आवश्यकता है। 'अ', 'स' और 'द' तीनों पड़ोसी हैं, जो कस्बा 'ई' में निवास करते हैं, 'स' के गारन्टी पर वादी ने उक्त ऋण प्रतिवादी को दिया। प्रतिवादी ने एक प्रोमेसरी नोट 'स' और 'द' के समक्ष वादी के घर पर निष्पादित किया। लेकिन वायदे के अनुसार प्रतिवादी ने ऋण राशि कई बार मौखिक रूप से मांगने पर नहीं वापिस की। तब वादी ने कारण बताओ नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से दिनांक 30.07.07 को भेजा। जो प्रतिवादी ने प्राप्त किया था। प्रतिउत्तर में प्रतिवादी ने यह लिखा कि न तो उसने कोई रूपया लिया और न ही कोई प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है। जवाब प्राप्त करने के पश्चात वादी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी देय राशि अदा करने का इच्छुक नहीं है। तब वादी ने दीवानी वाद सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूलने हेतु व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 जो कस्बा 'ई' में स्थित है, में प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :- प्रतिवादी 'ब' ने लिखित कथन दाखिल किया जिसमें उसने यह अभिवचनित किया कि न तो उसने राशि प्राप्त की और न ही प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया जैसा कि वाद पत्र में अभिवचनित है। प्रतिवादी ने विशिष्टतः अभिवचनित किया कि तथाकथित प्रोमेसरी नोट का साक्षी 'स' ने अपने भाई 'फ' से षड़यंत्र करते हुये फर्जी प्रोमेसरी नोट अपने निकटतम रिश्तेदार वादी 'अ' से मिलकर तैयार किया। यह फर्जी कार्यवाही उपरोक्त व्यक्तियों ने गलत मंतव्य से की है। क्योंकि वर्ष 2004 में एक दीवानी वाद प्रतिवादी 'ब' ने 'फ' के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो दिनांक 22.10.2009 को वर्तमान प्रतिवादी 'ब' के पक्ष में निराकृत हुआ इस पूर्ववर्ती सिविल वाद में 'फ' ने एक विक्रय का अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसका भाई 'स' साक्षी के रूप में उल्लिखित था। यह विक्रय का अनुबंध फर्जी दस्तावेज के रूप में पूर्ववर्ती सिविल विचारण में घोषित किया गया। इसलिए बदला लेने और प्रतिवादी को सबक सिखाने के लिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने षड़यंत्र में शामिल होते हुये फर्जी प्रोमेसरी नोट निर्मित किया।

वादी की साक्ष्य :- वादी ने तीन साक्षी प्रस्तुत किये हैं, जिसमें वादी स्वयं (वा0सा0 1), साक्षी 'स' (वा0सा0 2) तथा 'द' (वा0सा0 3)। वादी ने प्रोमेसरी नोट

प्रदर्श पी-1, नोटिस प्रदर्श पी-2, पोस्टल रसीद व अभिस्वीकृति प्रदर्श पी-3 व 4 प्रस्तुत की हैं। साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के दौरान यह पाया गया कि प्रदर्श पी-1, प्रोमेसरी नोट नहीं है बल्कि बॉण्ड है। इसलिए इस दस्तावेज को साक्ष्य में विचार में लेने के पूर्व परिबद्ध किया गया और विधि अनुसार कार्यवाही के पश्चात प्रदर्श पी-1 बॉण्ड के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य किया गया। उक्त तीनों साक्षी अपनी कथनों में व्यक्त करते हैं कि प्रतिवादी ने प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज दिनांक 03.01.05 को वादी के निवास स्थान पर निष्पादित किया था, जिसपर वादी, प्रतिवादी व दोनों साक्षीयो ने हस्ताक्षर किये थे तथा प्रतिवादी ने 1,60,000/- रूपया नगद तथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज पर सहमत हुआ था।

प्रतिवादी की साक्ष्य :- प्रतिवादी स्वयं अकेला साक्ष्य में प्र0सा0 1 के रूप में प्रस्तुत हुआ उसने प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व के सिविल वाद 1अ/04 के वादपत्र प्रदर्श डी-1 लिखित कथन डी-2 तथा तथाकथित विक्रय का अनुबंध डी-3 जो साक्षी 'स' (वा0सा0 2) के भाई 'फ' द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उस निर्णय दिनांक 22.10.2009 प्रदर्श डी-4 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादी ने उक्त समस्त दस्तावेज सिविल प्रकरण 1अ/2004 के मूल अभिलेख से साबित किये हैं। प्रतिवादी ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि पूर्ववर्ती दीवानी वाद में दोनों साक्षी 'स' (वा0सा0 2) तथा उसके भाई 'फ' ने प्रतिवादी को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया व धमकी दी थी। इसलिए उसने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद 'फ' जो साक्षी 'स' (आ0सा0 2) का भाई था उसके विरुद्ध प्रस्तुत किया था प्रतिवादी यह भी व्यक्त करता है कि पूर्ववर्ती वाद में जो विक्रय का अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया था उसमें साक्षी 'स' (वा0सा0 2) भी दस्तावेज का गवाह था तथा 'स' पूर्ववर्ती प्रकरण में अपने भाई के समर्थन में साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुआ था। पूर्ववती वाद में उक्त विक्रय का अनुबंध पत्र फर्जी घोषित किया गया है।

तर्क वादी :- वादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी ने अपना वाद विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा साबित किया है। पूर्ववर्ती दीवानी प्रकरण में न तो वादी और न तो उसके साक्षी पक्षकार थे। इसलिए पूर्ववर्ती वाद का निर्णय उस पर बंधन कारक नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि वादी ने स्वतंत्र साक्षी 'द' (वा0सा0 3) प्रस्तुत किया है, जो न तो वादी से हितबद्ध है और न तो उसका संबंधी है और इस साक्षी की प्रतिवादी से भी कोई दुश्मनी का संबंध नहीं है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाये।

तर्क प्रतिवादी :- प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसका वादी से कोई पूर्ववर्ती परिचय और किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी को इतनी बड़ी राशि उधार लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बिना पूर्व परिचय के वादी ने प्रतिवादी को इतना ऋण बिना बंधक व जमानत के कैसे दे

दिया ? पूर्ववर्ती दीवानी वाद के वजह से ऐसा कोई औचित्य नहीं था कि वादी साक्षी 'स' (वा0सा0 2) ऋण के बावत् प्रतिवादी की गारन्टी देता। प्रतिवादी अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षर जो प्रदर्श डी-1 पूर्ववती सिविल प्रकरण के वादपत्र पर है और विवादित हस्ताक्षर जो प्रदर्श पी-1 पर बतलाये गये हैं, उनका तुलनात्मक निरीक्षण करने का निवेदन करते हुये, व्यक्त किया कि दोनों हस्ताक्षर सर्वथा एक-दूसरे से भिन्न हैं। उनका तर्क है कि धारा 73 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय हस्ताक्षरों का मिलान कर सकता है।

निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)
JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

- Q. 4** Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law. 40

Prosecution Case :-

1. Truck bearing registration No. MP20 AB-845 belonged to one Mohanpal (P.W. 1). On 21.1.2013 the truck developed a mechanical defect. It was, therefore, parked at village Dumna by the driver of the Truck. On the following day, a window of the truck was found open. On checking "diesel pump", "self starter" and "tools Kit" were found stolen from the truck. A First Information report Ex. P1 was, therefore, lodged to the police by PW. 1 Mohanpal on the basis of which a case for the offence under Section 379, Indian Penal Code, came to be registered. In the First Information report Mohanpal expressed suspicion against accused Kishan Das, since he was the driver of the Truck.
2. During the course of investigation the Kishan Das and his brother Ram Das were arrested. Whilst in custody the two accused made a disclosure statement under Section 27 of the Evidence Act before the Head Constable in the presence of PW. 2 Chet Ram and one Bhagat Ram leading to the recovery of "diesel pump", "self starter" and the "tools Kit" from the house of accused Kishan Das.
3. The police, after completion of investigation submitted the charge-sheet against both the accused for offence under Section 379 read with Section 34, Indian Penal Code.

Defence Plea :-

4. The accused persons denied the charge. Their defence was that they have been falsely implicated.

Evidence for prosecution :-

5. The prosecution in support of its case examined three witnesses in all. There was no eye-witness of the theft. Mohanpal (P.W. 1) proved the FIR Ex. P-1 lodged by him. He also proved the theft of aforesaid articles from his truck. He also deposed that accused Kishan Das was the driver of the Truck.

6. Chet Ram was examined as PW 2. He is silent with regard to the making of the disclosure statement Ex. P 2 by the two accused. Another witness to disclosure statement Ex.P-2 was Bhagat Ram but he was not examined by the prosecution. Head Constable Shyam Lal PW. 3 deposed that both the accused while in custody on 21.01.2013 made a joint disclosure statement Ex. P 2 in the presence of PW. 2 Chet Ram and Bhagat Ram. He also proved the recovery of "diesel pump", "Self starter" and "tools Kit" in pursuance of such disclosure statement.

Evidence for defence :-

7. On behalf of the accused persons no witness was examined in defence.

Arguments of Prosecutor :-

8. As per the prosecution both the accused while in custody on 21.1.2013 made a joint disclosure statement Ex. P 2 before Head Constable Shyam Lal (PW.3) in the presence of Chet Ram (PW.2) and one Bhagat Ram and in pursuance of the joint statement, recovery of "diesel pump", "Self starter" and "tools Kit" was made from both the accused. Therefore, on the basis of disclosure statements and recovery of the articles, offence under Section 379 of the IPC was duly proved against both the accused.

Arguments of Defence Counsel :-

9. On behalf of the accused it was contended that the joint disclosure statement said to have been made by the two accused is not admissible in evidence and no reliance can be placed upon any recoveries alleged to have been made in pursuance of such joint statement. Therefore, accused should be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये -

अभियोजन का प्रकरण :-

1. ट्रक, जिसका पंजीयन क्रमांक एम.पी.20 ए.बी.845 था, मोहन पाल (अ.सा.1) का था । दिनांक 21.01.13 को ट्रक में यांत्रिकीय त्रुटि आ गयी थी। इसलिये ट्रक को उसके चालक ने ग्राम डुमना में खड़ा कर दिया । अगले दिन ट्रक की एक खिड़की खुली पाई गई। निरीक्षण करने पर ट्रक में से डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर तथा टूल्स किट की चोरी होना पाई गई । मोहन पाल (अ.सा.1) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर धारा 379 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में प्रकरण पंजीयत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोहन पाल ने अभियुक्त किशनदास पर संदेह व्यक्त किया क्योंकि वह ट्रक का चालक था ।

2. अनुसंधान के दौरान किशनदास और उसके भाई रामदास को गिरफ्तार किया गया । अभिरक्षा में रहने के दौरान दोनों अभियुक्तगण ने अ.सा.2 चेताराम तथा एक अन्य भगताराम की उपस्थिति में प्रधान आरक्षक के समक्ष धारा 27 साक्ष्य विधान के अन्तर्गत एक प्रकटन बयान दिया जिस पर से 'डीजल पम्प', 'सेल्फ स्टार्टर' और 'टूल्स किट' अभियुक्त किशनदास के मकान से बरामद किये गये ।

3. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करने के बाद दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रतिरक्षा अभिवाक :-

4. अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया । उनका बचाव था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है ।

अभियोजन की साक्ष्य :-

5. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल तीन साक्षियों के कथन करवाये। चोरी का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। मोहनलाल (अ.सा.1) ने उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 प्रमाणित की । उसने यह भी प्रमाणित किया है कि उपरोक्त सामग्री की चोरी उसके ट्रक में से हुई थी । उसने यह कथन भी दिया कि अभियुक्त किशनदास ट्रक का चालक था ।

6. चेताराम अ.सा.2 के रूप में परीक्षित किया गया । उसने अपने कथन में दोनों अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये प्रकटन बयान प्र.पी.2 के बारे में कोई बात नहीं बताई । प्रकटन बयान प्र.पी.2 का अन्य साक्षी भगताराम था लेकिन उसे

अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था । प्रधान आरक्षक श्यामलाल (अ.सा.3) ने कथन दिया था कि दिनांक 21.01.2013 को दोनों अभियुक्तगण ने अभिरक्षा में अभियोजन साक्षी क.2 चेताराम तथा भगताराम के समक्ष प्र.पी.2 का प्रकटन बयान संयुक्त रूप से दिया था । उसने डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर और टूल्स किट की बरामदगी प्रकटन बयान के अनुसरण में किया जाना भी प्रमाणित किया ।

बचाव साक्ष्य :-

7. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं करवाया गया था ।

अभियोजक का तर्क :-

8. अभियोजन के अनुसार, दोनों अभियुक्तगण जब दिनांक 21.01.2013 को अभिरक्षा में थे तब उन्होंने प्रधान आरक्षक श्यामलाल (अ.सा.3) को चेताराम (अ.सा.2) तथा एक अन्य भगताराम के समक्ष प्र.पी.2 की प्रकटन सूचना दी थी और संयुक्त सूचना के अनुसरण में डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर और टूल्स किट की बरामदगी दोनों अभियुक्तगण से की गई थी । इसलिये प्रकटन बयान और वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 379 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध सम्यक् रूप से प्रमाणित हुआ है ।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :-

9. अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि संयुक्त प्रकटन बयान जो कि दोनों अभियुक्तगण के द्वारा दिया जाना कहा गया है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर की गई बरामदगी पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिये । इसलिये अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने चाहिये ।
